(1)

64

No. SMN(Bima)-1/2015-16-RDD- 501-12
Government of Himachal Pradesh
Rural Development Department

From:-

The Secretary (RD)
To the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla

To

All the Dy- cum Project Officer
DRDAs in Himachal Pradesh

Dated Shimla-9 4-8 July 2015

Subject:- Regarding benefits under Matri Shakti Bima Yojana.

Sir/Madam

In continuation to this Department,s letter of even No.dated 28 May,2008, 8th September, 2008 & 3 February 2009 regarding subject noted above, vide which guidelines of Matri Shakti Bims Yojana were sent to you.

I am directed to inform you that the benefits under this schme have been increased by 100% w.e.f.01.02.2009 by the state Govt. The enhaneed benefits are now be as under:

1. Death Rs. 100000/-
2. Permanent total disability Rs. 100000/-
3. Loss of one limb and one eye or both eyes or both limbs Rs. 100000/-
4. Loss of one limb or one ear Rs. 50000/-
5. In case of death of husband Rs. 100000/-

The increased benefits will be provided to those cases (death or disability) which happen on 01.02.2009 or onwards. The remaining terms and conditions of this scheme will remain the same. You are therefore requested to follow the above provisions of the Yojana accordingly.

Yours faithfully,

Dy Secretary(RD)to the
Government of Himachal Pradesh.

316

हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम) विभाग

...

संख्या: वित्त-आई. एफ.(एफ) 9-1/95-I   25-9-2000

अधिसूचना

ग्रामीण महिलाओं के कल्याणार्थ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सहर्ष मातृशक्ति बीमा योजना को अधिसूचित करते हैं जो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पहचानी गई गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्षों तक की आयु की सभी महिलाओं पर लागू होगी । इस बीमा योजना का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इस योजना के प्रमुख रूपक निम्न प्रकार से हैं:-

1. पात्रता — यह योजना 10 से 75 वर्ष तक सभी महिलाओं के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं ।

2. क्षेत्र विस्तार

(क) यह योजना परिवार के सदस्य/बीमागत महिला की उनकी मृत्यु या अपंगता जो कि निम्न कारणों से हुई हो को राहत प्रदान करती है:-

1. दुर्घटना से
2. शल्य चिकित्सा द्वारा नसबन्दी, सिजेरियन, गर्भाशय/ बच्चेदानी निकालने से ।
3. प्रजनन के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से ।
4. डूबना, बाढ़ में बहना, भूस्खलन, कीट डंक, सर्प डंक, भूचाल, आंधी तूफान से ।

(ख) यह कवच 24 घण्टे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं चाहे कहीं भी हो जैसे कि घर पर बाहर कोई कार्य में संलिप्त होने पर /व्यावसायिक कार्य/ किसी भी साधन द्वारा यात्रा से बाहरी तथा दृष्टिगत हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होने पर उपलब्ध ।

पृ0 जारी....2/....

2. बीमाकृत राशि

1. मृत्यु पर —————— 100000/–
2. पूर्ण स्थाई अपंगता ——— 100000/–
3. एक आंख एवं एक
   अंग या दोनों अंगों ——— 100000/–
4. एक आंख या एक
   अंग की क्षति पर ——— 50000/–
5. पति की मृत्यु पर ——— 100000/–

अतिरिक्त विशेषताएं

यह योजना विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भी लागू होगी तथा 100000/– रूपये की क्षति पूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा देय होगी।

दावे की प्रक्रिया

(क) सम्बन्धित क्षेत्र के खण्डविकास अधिकारी इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। सभी दावे खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किए जायेगें। प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे:–

1. मृत्यु की स्थिति में:–

क. मृतक के उत्तराधिकारी की ओर से सूचना।
ख. दावा प्रपत्र।
ग. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाना।
घ. ग्राम पंचायत से नुकसान के कारण का प्रमाण पत्र।
ड. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया।

2. चोट लगने की स्थिति में:–

क. दावेदार से सूचना।
ख. दावा पत्र (फार्म) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिया गया।
ग. चिकित्सा प्रमाण पत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिया गया।

पृ0 जारी.....3/.....

घ. ग्राम पंचायत से नुकसान के कारण का प्रमाण पत्र।

3. पति की मृत्यु की स्थिति में

क. दिवंगत के उत्तराधिकारी द्वारा सूचना।

ख. दावा फार्म।

ग. ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र जिस पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए हो।